

कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना 2008: "अन्य किसान के लिए" राहत प्रमाण-पत्र

बैंक का नाम :

राज्य :

शाखा :

ज़िला :

1. किसान के विवरण:			
क) नाम/एक से ज़्यादा नाम (पुत्र/पुत्री/पत्नी)			
ख) पता			
ग) कार्य	कृषि/संबद्ध कार्य		
घ) ऋण खाता सं.			
ड) संयुक्त/जोत भूमि धारण			
च) मूलधन			
2. अतिदेय ऋण के विवरण: (रु. में)			
क) 31.03.1997 और 31.03.2007 के बीच संवितरित गए ऋण की राशि			
ख) प्रयोजन			
ग) 31 दिसंबर 2007 तक अतिदेय राशि (उपर्युक्त ऋण के संबंध में) जिसे 29 फरवरी 2008 तक चुकाया नहीं गया है			
घ) OTS के अंतर्गत किसान का हिस्सा			
ड) किसान द्वारा अपने हिस्से की चुकाई गई रकम और संबंधित तारीख	तारीख:		
3. पुनर्नियोजित खातों का विवरण: (रु. में)	2004 पैकेज	2006 पैकेज	भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश
क) फसल ऋण और निवेश ऋण की अतिदेय किस्तें जो पूर्व में पुनर्नियोजित किए गए थे और जो 31 दिसंबर 2007 तक देय रहे थे, और 29 फरवरी 2008 तक चुकाए नहीं गए थे।			
ख) निवेश ऋण की किस्तें जिन्हें पुनर्नियोजित नहीं किया गया था पर जो बाद में 31.12.07 को अंततः अतिदेय हो गई थीं और 29.02.2008 तक चुकाई नहीं गई थीं।			
ग) OTS के अंतर्गत किसान का हिस्सा			
घ) किसान द्वारा अपने हिस्से की चुकाई गई राशि और संबंधित तारीख			
ड) OTS राहत की राशि और समायोजन की तारीख			

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त OTS राहत का लाभ आपको शीर्षित योजना के अंतर्गत आपकी पात्रता के अनुरूप दिया जा रहा है। पुनः यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त ऋण खाते में अतिदेय राशि का निपटान हमारी पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप किया गया है।

हस्ताक्षर

शाखा प्रबंधक

तारीख:

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त किया

किसान के हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान